

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज, भीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 212/प्रा0पत्र/2022

दायरा दिनांक :-06.12.2022

GCMS ID-2022/18

1. कल्याण सिंह पिता किशनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पेंच की बावडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. प्रकाश सिंह पिता चतरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पेंच की बावडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. महादेव पिता चतरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पेंच की बावडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जयें तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला-बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :- श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

दिनांक :- 18/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1017 कुल किता 1 कुल रकबा 0.9146 हैक्टेयर वाके ग्राम काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण की जाति दरोगा लिखी हुई है जो राजस्थान राज्य की ओ0बी0सी0 की सूची में वर्तमान क्रम संख्या 12 पर है जो कि इसी सूची अनुसार रावणा राजपूत के नाम से भी पहचानी जाती है। और यह भी क्रम संख्या 12 पर ही दर्ज है। प्रार्थीगण की जाति रावणा राजपूत है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दरोगा अंकित किया हुआ है जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर द्वारा अधिसूचना एफ 11-125/आर.एडपी/सकवी/52307 दिनांक 06.08.1994 से दरोगा जाति के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। क्योंकि वजीर हजरी, दरोगा, रावणा राजपूत चारो एक की वर्ग की जातिया है और यह सभी अन्य पिछडा वर्ग के रूप में पूर्व से अधिसूचना 6 अगस्त 1994 द्वारा क्रम संख्या 11 पर अधिसूचित है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग



द्वारा दिनांक 23.01.2018 को भी दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर समस्त जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन के संबंध में जारी प्रपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007, 28.12.2017 एवं 23.12.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना करने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति के गलत इन्द्राज को दुरुस्त किये जाने में कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है। खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। राजस्थान राज्य की ओबीसी की सूची में क्रम संख्या 12 पर दर्ज दरोगा व रावणा राजपूत समान वर्ग के है ऐसी स्थिति में दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दुरुस्त करने में कोई अडचन नहीं है। भूमि ग्राम काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 1017 कुल किता 1 कुल रकबा 0.9146 हैक्टेयर वाके ग्राम काछोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज कर दुरुस्ती के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में दिनांक 23.05.2023 को प्रस्तुत मौका पर्चा जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम काछोला की भूमि खाता संख्या 202 में दर्ज अपनी जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्ध दर्ज करवाना चाहते है। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर मुताबिक जॉच रिपोर्ट व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक:-5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार दरोगा व रावणा राजपूत एक ही जाति के होने से प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किया जाना उचित अंकित किया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति दरोगा अंकित हो रही है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक:-5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार सम्मानजनक रावणा राजपूत दुरुस्त किए जाने का कथन किया गया।



उपस्थान अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक :- एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/5353 दिनांक 23.01.2018 अनुसार एवं राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में जाति नाम संशोधन के संबंध में जारी प्रपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996, 18.06.2007, 25.10.2007, 28.12.2017 एवं 23.12.2020 में दिए गये निर्देशों अनुसार प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में जबाब अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम काछोला पटवार मण्डल काछोला के खाता संख्या 202 में दर्ज सहखातेदारों की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :- 18.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।



Am 18/06/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकाारी
हिण्डोली